लेखा अधिकारी, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

बनाम

अनवर अली

निर्णय की तिथि: 09/10/2007

बेंच: (डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम जे.)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986; धारा 2 (ओ):

लाभकारी उपभोक्ता क्षेत्राधिकार - प्रत्यर्थी की बिजली की आपूर्ति को अपीलार्थी बोर्ड द्वारा कथित रूप से बिना नोटिस दिए बंद कर दिया गया - जिला उपभोक्ता मंच को शिकायत - मंच द्वारा प्रत्यर्थी को मुआवजे के रूप मे 50,000 की राशि देना सही ठहराया गया।-राज्य आयोग द्वारा पुष्टि - राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुष्टि- अपील में अभिनिर्धारण- राष्ट्रीय आयोग ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या बिजली का उपभोक्ता, 1986 अधिनियम की धारा 2 (ओ) के अनुसार उपभोक्ता है - इसलिए, मामले पर एक सकारात्मक निष्कर्ष देने और कथित नोटिस की तामिल के विवाद पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय आयोग को भेजा गया- विद्युत अधिनियम, 2003।

उत्तरदाता-उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई कि बिजली की आपूर्ति अपीलार्थी बोर्ड द्वारा बिना नोटिस के बंद कर दी गई है। जिला उपभोक्ता मंच ने 12% वार्षिक ब्याज के साथ 50,000/- रूपये का मुआवजा को बरकरार रखा और इस आदेश की राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने पुष्टि की, जिसकी यह वर्तमान अपील है। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि जिला मंच,राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग यह सराहना करने में विफल रहे है कि विच्छेद की सूचना 20.12.1999 को दी गई थी और विच्छेद 29.01.2000 को किया गया था और इस अधिनियम की धारा 2 (ओ) में परिभाषित उपभोक्ता में बिजली का उपभोक्ता शामिल नहीं है।

उत्तरदाता-उपभोक्ता ने प्रस्तुत किया कि जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने स्पष्ट रूप से पाया कि विच्छेद करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उसने एक स्पष्ट रुख अपनाया कि 20.12.1999 दिनांकित नोटिस उस पर तामील नहीं हुआ।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. “सेवा" उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (ओ) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी विवरण की औसत सेवा जो बैंकिंग,वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति, उद्यम आदि, के सम्बन्ध में उपभोक्ता उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए निगम द्वारा विद्युत ऊर्जा की यह आपूर्ति अधिनियम की धारा 2 (ओ) के अन्तर्गत आती है। (पैरा 8)(908-सी-डी)

1.2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय आयोग ने इस प्रश्न को संबोधित नही किया कि क्या बिजली का उपभोक्ता धारा 2 (ओ) में परिभाषित ‘उपभोक्ता’ की परिभाषा के अंतर्गत आता हैै। अधिनियम के अनुसार, मामले के पहलू पर एक सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करने के लिए प्रेषित किया जाता है । जिसमें दिनांक 20.12.1999 के कथित नोटिस की तामील के सम्बन्ध में उठाए गए विवाद पर भी विचार करना भी शामिल है। (पैरा 10)(908-एच;90-ए)

मामला संख्या: अपील (सिविल) 2007 की 4734.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

निर्णय:

(2004 की एसएलपी (सी) संख्या 25840 से उत्पन्न)

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. याचिका स्वीकृत.

2. इस अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

3. अपीलकर्ताओं ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, रांची (संक्षेप में जिला फोरम) और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, झारखंड, रांची (संक्षेप में राज्य आयोग) द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की शुद्धता पर सवाल उठाया था।

4. प्रतिवादी की मूल शिकायत यह थी कि बिजली आपूर्ति बिना किसी सूचना के बंद कर दी गई थी। जिला फोरम द्वारा प्रति वर्ष 12% ब्याज के साथ 50,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया और राज्य आयोग द्वारा इसे बरकरार रखा गया। राष्ट्रीय आयोग का मानना था कि चूंकि कनेक्शन काटने के बाद नोटिस दिया गया था, इसलिए कार्यवाही स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं थी।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग यह समझने में विफल रहे कि कनेक्शन काटने का नोटिस 20.12.1999

को दिया गया था और कनेक्शन 29.1.2000 को किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि क्या बिजली के उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में अधिनियम) के प्रावधानों के तहत कवर किया जा सकता है, इस पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया है।

6. अपीलकर्ताओं का पक्ष यह है कि अधिनियम की धारा 2(ओ) में परिभाषित उपभोक्ता की परिभाषा बिजली के उपभोक्ता को कवर नहीं करती है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने स्पष्ट रूप से पाया है कि कनेक्शन काटने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था और प्रतिवादी ने स्पष्ट रुख अपनाया है कि नोटिस दिनांक 20.12.1999 उस पर तामील नहीं किया गया है।

8. इस मामले में हम लाभकारी उपभोक्ता क्षेत्राधिकार के दायरे और सीमा से चिंतित हैं, विशेष रूप से विद्युत अधिनियम, 2003 जैसे प्रावधानों के तहत आने वाले तकनीकी विषयों के संबंध में। अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत शिकायत को परिभाषित किया गया है एक शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में आरोप लगाया गया कि सेवा प्रदाता ने सेवाओं के लिए उस समय लागू

कानून के तहत निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूल की है [देखें: धारा 2(सी)(iv)] । धारा 2(डी) के तहत उपभोक्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी ऐसी सेवा को किराए पर लेता है या उसका लाभ उठाता है जिसके लिए भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है। धारा 2(जी) के तहत अधिनियम में कमी शब्द को प्रदर्शन की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में किसी भी गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे किसी भी कानून के तहत या किसी अनुबंध के तहत या अन्यथा बनाए रखा जाना आवश्यक है। किसी भी सेवा के संबंध में. माल शब्द को धारा 2(i) के तहत परिभाषित किया गया है , जिसका अर्थ माल की बिक्री अधिनियम , 1930 में परिभाषित माल है। सेवा को अधिनियम की धारा 2(ओ) के तहत भी परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ किसी भी विवरण की सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति, मनोरंजन आदि से संबंध। इसलिए, निगम द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति धारा 2(ओ) के अंतर्गत आती है। अधिनियम का. हालाँकि, जो प्रश्न निर्धारण के लिए उठता है और जिसका निर्णय नहीं किया गया है वह यह है: क्या लाभकारी उपभोक्ता क्षेत्राधिकार

उपभोक्ता फोरम द्वारा कपटपूर्ण कृत्यों और उससे उत्पन्न होने वाले दायित्व के निर्धारण तक विस्तारित है। इस संबंध में निगम की ओर से आग्रह किया गया है कि बिजली के अनाधिकृत उपयोग, मीटरों से छेड़छाड़, मीटरों का वितरण और विद्युत प्रवाह के अंशांकन के लिए शुल्क का निर्धारण तकनीकी प्रकृति के मामले हैं जिनका निर्णय उपभोक्ता फोरम द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह आग्रह किया गया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया है। इस सिलसिले में धारा 145 पर भरोसा रखा गया उक्त 2003 अधिनियम के तहत धारा 126 के तहत आने वाले मामलों के संबंध में मुकदमों पर विचार करने का सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्जित है। ये मूल्यांकन के मामले हैं. यह कहा गया है कि 2003 अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और इसलिए, बिजली बिलों के मूल्यांकन के मामलों में उपभोक्ता फोरम को प्रतिवादी को बिजली अधिनियम, 2003 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने का निर्देश देना चाहिए, जो उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाए। स्पष्ट रूप से या निगमन द्वारा।

9. उपरोक्त स्थिति हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम माम चंद (2006 (4) एससीसी 649) में नोट की गई थी।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय आयोग ने इस सवाल का समाधान नहीं किया है कि क्या बिजली का उपभोक्ता अधिनियम की धारा 2 (ओ) में परिभाषित उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत आता है, हम विवादित आदेश को रद्द कर देते हैं और मामले को खारिज कर देते हैं। इस पहलू पर सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय आयोग से बात करें। यह दिनांक 20.12.1999 की कथित नोटिस सेवा के संबंध में उठाए गए विवाद पर भी विचार करेगा।

11. खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुंदर लाल बंशीवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।